



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : अगस्त 2013

1. निगम क्षेत्र में स्थित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्श एवं संधारण हेतु नीलामी जोन वाईज एक वर्ष के लिए की जावेगी जो लाईसेंस जारी किये जाने की दिनांक से मानी जावेगी। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों की सूची निगम वेबसाईट: www.jaipur.mc.org की होर्डिंग साईट पर देखी जा सकती है।
2. नगर निगम जयपुर में स्थित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की जोन वाईज खुली नीलामी हेतु अमानत राशि निम्नानुसार होगी – सिविल लाईन जोन हेतु रु. 2 लाख, विद्याधर नगर जोन हेतु रु. 1.5 लाख, सागानेर जोन हेतु रु. 1 लाख, मानसरोवर जोन हेतु 2 लाख, हवामहल पूर्व जोन हेतु 2 लाख, मोती झूंगरी जोन हेतु 5 लाख, आमेर जोन हेतु 75000 रु. एवं हवामहल पश्चिम जोन हेतु रु. 75000 अमानत के रूप में नगर निगम कोष में अग्रिम जमा कराने होंगे जो ठेका समाप्ति अवधि तक जमा रहेंगे।
3. पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की नीलामी नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। खुली नीलामी के आधार पर शर्तों के अनुसार राशि जमा होने पर अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।
4. प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा होने पर द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि लौटा दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस (24 घण्टे में) को डी.डी./बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डी.डी./बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करानी होगी। लाईसेंस अवधि पारस्परिक सहमति से लाईसेन्स शुल्क पर पूर्ववर्ती वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके अधिकतम दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। जिसके लिए संवेदक को लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व पिछले वर्ष की राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका अवधि समाप्ति के दिन ही निरस्त कर दिया जावेगा। समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेन्सी को करना होगा।
6. पर्याप्त बोली राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से नीलामी तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
7. अनुज्ञापत्रधारी को शर्तों के अनुबंध पर लाईसेंस जारी होने के 15 दिवस के भीतर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. पुलिस छतरियों व गुमटियों पर किसी भी तरह के अश्लील, आपत्तिजनक एवं अवैध विज्ञापन यथा अवैध प्रिंटिंग/लिखावट/बैनर्स लगाना, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, पतंग, आदि को लगते ही तुरन्त हटवाने/पुतवाने का दायित्व संवेदक का होगा अन्यथा नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्त तरह के अवैध/अश्लील/आपत्तिजनक विज्ञापन हटवाने पर प्रति पुलिस छतरी/गुमटी 500 रु. कैरिंग चार्ज वसूल किया जायेगा जो नोटिस में उल्लेखित अवधि में जमा नहीं कराने पर अमानता राशि से कैरिंग चार्ज की कटौती की जावेगी।
9. ठेका समाप्ति पर पुलिस छतरियां एवं गुमटियां नगर निगम जयपुर की सम्पत्ति होगी उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में ठेका समाप्ति तिथि के अगले दिन जोन कार्यालयों को सम्भलवानी होगी अन्यथा प्रति गुमटी/छतरी रु. 500 विज्ञापन हटवाने/ साफ करवाने का हर्जा खर्चा संबन्धित जोन कार्यालय द्वारा वसूल किया जावेगा तथा निगम को विज्ञापन प्रदर्श हटवाने तक जितने दिन तक विज्ञापन प्रदर्श होगा उतने दिन की आनुपातिक राशि ठेकेदार द्वारा जमा करानी होगी। छतरियों एवं गुमटियों के चौरी हो जाने, टूट ज़ोन, नष्ट होने पर छतरी/गुमटी संवेदक द्वारा बनाकर सुपुर्द करनी होगी।
10. नगर निगम द्वारा स्वीकृत पुलिस गुमटियों/छतरियों की संख्या में किसी कारण से कमी होती है तो अनुज्ञापत्रधारी यातायात पुलिस की सहमति से स्वयं के खर्चे पर स्वीकृत संख्या तक पुलिस गुमटी/छतरी स्थापित कर सकेगा। स्वीकृत संख्या से अतिरिक्त पुलिस गुमटी/छतरी यातायात पुलिस की अभिशंषा पर नगर निगम की लिखित अनुमति से ही स्थापित की जा सकेगी, जिसके लिए आनुपातिक शुल्क देय होगा। नगर निगम द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक पुलिस गुमटियां अथवा छतरियां मौके पर पाये जाने की स्थिति में लाईसेन्स धारी की अमानत/धरोहर राशि/लाईसेन्स फीस जब्त करते हुए लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।
11. यातायात पुलिस विभाग द्वारा अथवा नगर निगम जयपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस छतरियां/यातायात पुलिस गुमटियां लगवाने का पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निर्धारित ड्राईंग अनुसार नई पुलिस छतरियां एवं नयी पुलिस गुमटियां बनवाकर स्थापित करनी होगी। जिसकी आनुपातिक राशि नगर निगम कोष में जमा करानी होगी जो कि ठेका राशि की आनुपातिक होगी व नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की जायेगी।

12. पुलिस छतरियों के संबंध में दो ऊपरी एवं दो निचली साईड पर निगम द्वारा दी गयी झाईंग के अनुसार विज्ञापन करने का अधिकार अनुज्ञापत्रधारी को होगा। शेष भाग यातायात विभाग से अनुमोदित श्लोगन संवेदकों को लिखवाने होंगे। अर्थात् अनुज्ञापत्रधारी (सफल बोलीदाता) द्वारा पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन एवं 50 प्रतिशत हिस्से पर ट्रेफिक पुलिस विभाग द्वारा जारी किये श्लोगन के लिए आरक्षित रखना होगा।
13. पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों को स्थापित करने हेतु पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं, वस्तुओं की व्यवस्था अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। नगर निगम जयपुर द्वारा इसके लिए कोई खर्चा अनुज्ञापत्रधारी को नहीं दिया जायेगा। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों में बिजली कनेक्शन लेने एवं बिजली उपभोग के बिल का भुगतान अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा।
14. पुलिस छतरी एवं गुमटी की स्थापना के समय किसी तरह की फूटपाथ, रोड, भूमि, टाइल्स आदि के नुकसान के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापत्रधारी जिम्मेदार होगा, नगर निगम जयपुर किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी को पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर क्रम संख्या एवं जोन का नाम लिखना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्तानुसार सूची मुख्यालय एवं जोन में प्रस्तुत करनी होगी।
16. यदि किसी योजना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस गुमटी/छतरी हटा दी गयी हो अथवा मौके पर नहीं हो/अन्यत्र शिफ्ट करनी पड़े तो अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं यातायात पुलिस से तालमेल कर नये स्थान पर गुमटी/छतरी स्वयं के खर्चे पर स्थापित कर सकेगा। इसकी सूचना निगम में देनी होगी तथा इस प्रकार संवेदक को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
17. पुलिस छतरी/गुमटी गिरने से किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/किसी चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान की भरपायी का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी स्वयं का होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यदि कोई पुलिस कार्यवाही करनी हो अथवा कोई न्यायिक कार्यवाही करनी हो तो स्वयं के खर्च पर करनी होगी। यदि अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला/वाद किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा दायर किया जाता है तो उसके संबंध में कार्यवाही का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का ही होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/नगर निगम जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। आदेशों की अपील माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
19. नीलामी की अंतिम बोली को नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृति पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन पत्र प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार को कार्यदेश जारी किया जा सकेगा। उसके बाद ही अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
20. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
23. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

Handwritten signature

Handwritten signature
**लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं
 आयुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर**